

फैक्स
एवं
ई-मेल

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-50/2018.....143/जे0, पटना, दिनांक 02-11-18
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सिवान ।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, उप
मुख्यशीर्ष-01-सिविल, लघुशीर्ष-101-अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते,
उपशीर्ष-0009-राज्य के न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके
आश्रितों पर हुए चिकित्सा व्यय के अन्तर्गत-06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति-0009.06.
01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि
से व्यय हेतु कुल-3,36,800/- (तीन लाख छत्तीस हजार आठ सौ) रुपये का
आवंटन की स्वीकृति।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-642, दिनांक-07.08.2018

आदेश:- स्वीकृत।

2. व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, उप
मुख्यशीर्ष-01-सिविल, लघुशीर्ष-101-अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते, उपशीर्ष-0009-राज्य के
न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों पर हुए चिकित्सा व्यय के अन्तर्गत
चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2018-19 में होगा।
3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये
गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
4. वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-354/वि0, दिनांक-28.03.2018 के आलोक में उपबंधित
राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
5. कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में
व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
6. इस शीर्ष की माँग संख्या-15 एवं विपत्र कोड-15-2071011010009 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-50/2018.....143/जे0, पटना, दिनांक 02-11-18

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।


(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-50/2018.....143/जे0, पटना, दिनांक 02-11-18

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु अग्रसारित।


(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-50/2018.....143/जे0, पटना, दिनांक 02-11-18

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।
01/11/18